अपील सूचना अधिकार संख्या 26/2019 (RCMS 2019/00079) श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम जाति ब्राह्मण गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.09.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष दिनांक 04.02.2019 को सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.02.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. कार्यालय ग्राम पंचायत खाटां पत्रांक एसपीएल–1 दिनांक 12.11.18 श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर विषय:ग्राम पंचायत खाटां गली नं. 47 एवं अहाता संख्या 45 पर राजेश कुमार पुत्र कृष्णलाल जगदीश–राजाराम पुत्र तारूराम द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय सुरक्षा जाब्ता की कार्यवाही की सम्पूर्ण रिपोर्ट की प्रमाणितशुदा नकल।
2. प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2019 रजिस्टर्ड नरेगा में शिकायत बिन्दु 1 से 5 पर की गई जांच रिपोर्ट एवं आप द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित शुदा नकल।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. राजस्थान राज्य सूचना आयोग क्रमांक रासूआ/अपील/7790/2018 /233 दिनांक 11.12.2018 निर्णय बिन्दु संख्या 7 अपीलार्थी द्वारा की गई प्रतिक्रिया के परपेक्ष में स्पष्ट है कि आवेदन में मिसल संख्या 611/77 शेष वांछित सूचना 21 दिवस देने को निर्देशित किया। आज दिनांक तक सूचना नहीं दी गई, तुरन्त उपलब्ध कराई जावे।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारीं एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/19/1119 दिनांक 29.03.2019 जो कि मूल रूप से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर को लिखा गय है की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए निम्नानुसर जवाब दिया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र लालाराम जाति ब्राह्मण निवासी खांटा तहसील रायसिंहनगर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील दायर की गई है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्रांक सूकाअ/18/967 दिनांक 22.03.2019 को भिजवाया गया था। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाते हुए अपील से सम्बन्धित जवाब श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के कार्यालय में दिनांक 03.04.2019 को प्रस्तुत कर कार्यलय को अवगत करावें।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर से सम्बन्धित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर को स्थानान्तरित किया जा चुका है इसलिए अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी नहीं है। इसलिए अपीलार्थी को वांछित सूचनाओं हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर के समक्ष कार्यवाही करनी चाहिए, जिसके लिए वह स्वतन्त्र है।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंनगर को भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर